## न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
## पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
### प्रकरण सं. 444/2024
### दावा अ. धारा 88 आर.टी.ए.

गुरविन्द सिंह पुत्र श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)

–वादी

बनाम्

1. बलकरण सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट
प्रतिवादी सं. 1 की ओर से :- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

**निर्णय दिनांक :-** 12·8·24

वकील वादी की ओर से उक्त दावा इन तथ्यो के आधार पर पेश किया कि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 बलकरण सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह के नाम चक 2 ए.एम.पी. के खाता सं. 100/50 खाता जसवीर सिंह वगैरा जमाबंदी सम्वत् 2070-73 में दर्ज कुल 4.301 है., कृषि भूमि में 13/68 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की जमाबंदी दावा के साथ संलग्न है। दावा की दफा 3 मे दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 बलकरण सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज उक्त आराजी उनके वारिस वादी की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादी का अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 के साथ [illegible] का विरासतन हक व हिस्सा बना है। चुंकि प्रतिवादी [illegible] ने अपने [illegible] हक हिस्सा व कब्जा की कृषि भूमि चक 3 के.एस.डी. में प्राप्त कर ली है त[illegible] दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी में अपने समस्त हक व हिस्सा का परि[illegible]

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 12:36:
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

अपने पुत्र वादी के पक्ष में कर दिया है। इसलिए वाद ग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 बलकरण सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह का कोई हक व हिस्सा नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी वादग्रस्त आराजी पर दावा की दफा 3 के अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिये वादी ने प्रतिवादी से कई दफा निवेदन किये कि वे मुझ वादी को दावा की दफा 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान ले तथा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवें। लेकिन पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन अंत में पिछले सप्ताह स्पष्ट इन्कारी हो गए। यही विनाय दावा है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलवाना पेश होने के बाद सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जरिये वकील जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा में वादी के उक्त दावा पर सहमति व्यक्त की गई तथा वाद वादी डिक्री किये जाने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति जारी नही की। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से जरिये राजपैरोकार जवाब दावा पेश किया जो शामिल किया गया। चुंकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा में वादी के दावा का कोई विरोधाभास नही है। इसलिये जवाब उल जवाब तथा तनकीआत की कोई आवश्यकता नही है। साक्षय वादी में वकील वादी द्वारा वादी लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलकरण सिंह का ... अन्तर्गत ओ. 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया ... तथा वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित किये ... वकील प्रतिवादी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नही करने पर साक्षय बंद किया ...।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 12:36:31
Reason: SelfAttested

लगातार --3

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

तौरानें बहस वकील वादी द्वारा दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उक्त दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो एवं साक्ष्य के आधार पर उक्त दावा पूर्णतः सिद्ध होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## -::क्रियात्मक आदेश::-

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 2 ए.एम.पी. के खाता सं. 100/50 खाता जसवीर सिंह वगैरा जमाबंदी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 बलकरण सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रविवादी सं. 1 बलकरण सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अंकन किया जाकर उक्त चक के उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 1 बलकरण सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.8.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:36:31 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 444/2024

लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)

-वादी

बनाम्

1. बलकरण सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से :- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :-

दावा अंतर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 12.8.24

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील वादी मिन जानिब मुदई श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि चक 2 ए.एम.पी. के खाता सं. 100/50 खाता जसवीर सिंह वगैरा जमाबंदी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 बलकरण सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 बलकरण सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अंकन किया जाकर उक्त चक के उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 1 बलकरण सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not V
Digitally signed by R Meena
Date: 2024.09.07 1
Reason: SelfAttest

नोट :- यदि डिक्रीत आराजी बैंक रहन है तो बैंक रहन चुकता प्रमाण पत्र के बाद अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज .....×..... निल .......×....... मुब्लिक .......×.......निल .......×....... बाबत .......×...निल.......×....... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .......×.......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 12.8.24 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),

संगरिया

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:36:31 IST
Reason: SelfAttested